International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा आधारित शिक्षण को प्रोत्साहन: एक अध्ययन

मुन्ना राम महतो[1], डॉ. शिल्पी राज[2]

[1]शोधार्थी, [2]सहायक प्राध्यापिका
शिक्षा विभाग
झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

सारांश
विश्व में कहीं भी शिक्षा एवं शिक्षा नीति की जब बात होती है तब भाषा की चर्चा होना अनिवार्य है I भाषा के बिना औपचारिक शिक्षा संभव नहीं है I भारत में भाषा का विषय अधिक महत्वपूर्ण, जटिल, और एक भावनात्मक विषय भी है I भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई I नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने से भारत की शिक्षा प्रणाली में कई उम्मीदों के साथ नए बदलाओं तथा नए तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है I जिसमें एक महत्वपूर्ण भाग है 'भाषा'I भारत दुनिया के उन अनूठे देशों में से एक है जहाँ भाषाओँ में विविधता की विरासत पाई जाती है I इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओँ के संरक्षण, संवर्धन, एवं विकास-विस्तार के सन्दर्भ में आवश्यक तथ्यों को समावेश कर गहन अवलोकन किया गया हैI इस शिक्षा नीति में विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में कम-से-कम कक्षा-05 तक तथा जहाँ संभव है वहाँ कक्षा-08 तक के बालकों को स्थानीय भाषा/मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है I राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समग्र शिक्षा aएवं मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषाओँ को स्कूली स्तर पर अनिवार्य किया गया है क्योंकि इसमें भारत की पारम्परिक शैक्षणिक भावना समाहित है एवं संस्कृति प्रतिबिंबित है I

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विद्यालयी शिक्षा प्रणाली, समग्र शिक्षा, मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति

प्रस्तावना

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक क्रांति है I इस शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े परिवर्तन का सूचक है I निर्माताओं ने पूर्व में निर्मित शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की उच्च गुणवता वाली सामग्री, पठ्यक्रम आदि में कुछ कमियों का अभाव महसूस किया तथा इसके क्रियान्वयन के लिए भाषायी शिक्षण में सुधार करने हेतु कई प्रकार से अनुशंसा भी की है I यहाँ तक कहा गया है कि पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज विकसित करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मौलिक है I गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, बैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में वैश्विक मंच पर भारत निरन्तर उन्नति और नेतृत्व की कुंजी रहा है I सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हमारे देश की समृद्ध प्रतिभाओं को विकसित करने का मार्ग है I छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने से हमारे देश का भविष्य निर्धारित होगा I उच्च गुणवता के लिए जड़ों से जुड़े रहना नितांत आवश्यक है क्योंकि यह आधारस्तंभ होती है और यह नीव आधार मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा होती है I

यह नीति उत्तम है और इसमें भारत की पारम्परिक शैक्षणिक भावना समाहित हैI यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो यह भारत को एक आत्मनिर्भर, मजबूत, सुसंस्कृत, अध्यात्मिक और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदल देगा I यह नीति समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेंगी और 2030 तक सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देगी I शिक्षा किसी भी देश को बदलने का वास्तविक साधन है I सभी विकसित और समृद्ध देशों ने शिक्षा के माध्यम से अपनी महानता, धन और समृद्धि हासिल की है I हमें गर्व महसूस होता है जब हम सुनते हैं कि कई देश इस एन. ई. पी. 2020 को अपनी शिक्षा प्रणाली में लागू करना चाहते हैं I यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों तरह से 'वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल' का समर्थन करता है I

भारत में समग्र एवं बहु-विषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परम्परा है, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय से लेकर ऐसे कई व्यापक संस्थान हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं I प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था मानविकी और कला को समाहित करती है, जिसमें रचनात्मक और नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन एवं उच्चस्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, समूह कार्य में दक्षता, सम्प्रेषण कौशल, सीखने में गहराई और पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़, सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे साकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हैं और साथ ही, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोतरी हुई है I

इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी समग्र और बहुविषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने की बात कही गई है, जिसमे सभी उच्च शिक्षण संस्थान लचीले और नवीन पाठ्यक्रम निर्माण करे तथा निर्मित उस क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम में सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र शामिल हो I पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का प्रबंधन और वन एवं वन्य जीव शामिल है I मूल्य आधारित शिक्षा के अनर्गत मानवीय, नैतिक, सवैधानिक तथा सार्वभौमिक मानवीय मूल्य जैसे- सत्य, नेक आचरण, शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक मूल्य और जीवन कौशल, सेवा तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग माने गये है I

किसी भी समाज की स्थानीय भाषा (मातृभाषा) उस समाज के संस्कृति की परिचायक ही नहीं, बल्कि आर्थिक संपन्नता का आधार भी होती है I मातृभाषा का नष्ट होना राष्ट्र की प्रासंगिकता का नष्ट होना होता है I मातृभाषा को जब अर्थव्यवस्था की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं तो यह अधिक प्रासंगिक और समय सापेक्ष मालूम पड़ता है I किसी भी समाज की संस्कृति उस समाज के खानपान और पहनावे से परिभाषित होती है, यही खानपान और पहनावा जब अर्थव्यवस्था का रूप ले लेता है तो यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है I प्राथमिक शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में वही स्थान है जो माँ का है I यह व्यक्ति के जीवन की वह अवस्था है जब संपूर्ण जीवन को विकास क्रम की गति मिलती है I इस उम्र की शिक्षा जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा होती है I संभावनाओं से भरी इस अवस्था को सही दिशा उस समय मिल पाएगी जब उसकी दिशा सही हो I सही दिशा से तात्पर्य है बच्चों के शारीरिक, मांसपेशीय, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, सृजनात्मक, अभिव्यक्ति और सौन्दर्यबोध का विकास I शिक्षा के इन लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब बच्चों से उनकी भाषा में बात किया जाए I चूँकि शिक्षा बालक केन्द्रित होती है, बालकों के संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, बालकों के स्वाभाविक विकास में उनकी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है I

महात्मा गाँधी का स्पष्ट मत था कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने से ही उनका सही विकास हो सकता है और नवाचार की क्षमता विकसित हो सकती हैI यदि उन्हें मातृभाषा को छोड़कर विदेशी भाषा में पढाया जाय तो उनकी समस्त उर्जा तथा समय विदेशी अक्षर, विदेशी शब्द, वाक्य सीखने में लग जाएगी जिससे उनकी सृजनशीलता उतनी तीव्र गति से विकसित नहीं हो सकेगी जितनी तीव्र गति से उनकी भाषा में शिक्षा देने से होगी I उनकी चिंतन की क्षमता विकसित नही हो सकेगी I मातृभाषा में शिक्षण वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है I विदेशी भाषा से शिक्षा मिलने से बालक अपने मूल संस्कार, परिवेश, परंपरा, विरासत एवं जीवन के मूल्यों से धीरे-धीरे कटता चला जाता है I

मातृभाषा हृदय में छिपे हुए भावों को,विचारों को ध्वनियों के रूप में अभिव्यक्त कर शब्दों में डालता है I मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होने से पाठ्यक्रम की बेहतर समझ के साथ साथ स्कूल के प्रति अधिक साकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और छात्रों को विद्यालय से भय नहीं लगता है I बल्कि, विद्यालय जानें में आनन्द की अनुभूति करते हैं I जब बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ते हैं तो वे मौलिक चिंतन करते हैं और भावों को आत्मसात करतें हैं I जिससे उनकी समझ विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है I मातृभाषा बच्चों को राष्ट्रीयता से जोड़ती है, देशप्रेम की भावना का विकास होता है I यह संस्कार की संवाहिका होती है I मातृभाषा से मानव की चेतना पल्लवित होती हैI यह मानवता के विकास की भी अभिलेखागार होती है I यह विचारों की जननी है, भावात्मक विकास का उत्तम साधन है I

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति एवं भाषाई विविधता –
यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/क्षेत्रीय भाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं, घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हालाँकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में एक घरेलू भाषा हो सकती है, जिसका उपयोग वे करते हैं

I राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा से शिक्षा देने के कार्य का पालन सार्वजानिक और निजी दोनों तरह के स्कूल करेंगे I विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराया जायगा I ऐसे मामलों में जहाँ क्षेत्रीय भाषा की पाठ्य- सामग्री उपलब्ध नहीं है, जहाँ शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद होता हो वहाँ संभव हो सके तो क्षेत्रीय भाषा का उपयोग बना रहे I शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके क्षेत्र की भाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न हैं, द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी शिक्षा प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा I सभी भाषाओँ को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवता के साथ पढाया जायेगा I सभी भाषाओँ को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढाया जायेगा तथा भाषाओँ को पढने और लिखने के लिए कौशल विकसित किये जायेंगे I

केन्द्र और राज्य, दोनों सरकारों की ओर से देश भर के सभी क्षेत्रीय भाषाओँ और विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओँ (असमिया, बंगाली, गुजरती, हिंदी, कन्नड़, राघव, कोंकणी, मलयालम, भिक्षुणी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी) में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा I भारत के विभिन्न राज्य अपने-अपने राज्यों में त्रि-भाषा फ़ॉर्मूला को अपनाने के लिए, और साथ ही देश भर में भारतीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करनें के लिए आपस में द्वि-पक्षीय समझौते कर सकतें हैं I विभिन्न भाषाओँ को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का वृहद उपयोग किया जायेगाI

क्षेत्रीय भाषा शिक्षण प्रोत्साहन हेतु उपाय –

- **शिक्षक प्रशिक्षण**- क्षेत्रीय भाषाओँ में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा I इससे शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देनें में भी मदद मिलेगीI उदाहरण के लिए, भारत के पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, केरल राज्यों में, राज्य सरकारों ने हाल ही में क्रमशः बंगाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, संथाली, कुडुख, खड़िया, हो, मलयालम, जैसी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषाओँ में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहें हैं I

- **क्षेत्रीय भाषा और ई-लर्निंग के साथ आधारभूत अध्ययन का मिश्रण**-
ई- लर्निंग, मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में बढ़ावा देनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, चूकी वर्तमान वैश्विक परिस्थिति पर नजर डालें तो पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ता है, मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट से प्रतिदिन रूबरू होता है, ऐसी स्थिति में भाषा के प्रसार को मिश्रित कर के आधारभूत अध्ययन करने से लोगों में समझ अधिक होगी I वर्तमान में देश में साधारण धारणा बनी है कि इस प्रकार का शिक्षण अंग्रेजी में ही हो सकता है I इस गलत धारणा के विरुद्ध इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ई- लर्निंग द्वारा भी स्थानीय भाषा में पढ़ाने की बात कही गई है I
- **सामग्री निर्माण**– शैक्षणिक संस्थान एड-टेक प्रदाताओं के साथ मिलकर क्षेत्रीय भाषाओँ सहित कई भाषाओँ में सामग्री तैयार कर सकतें हैं और इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल कर छात्रों का मानसिक विकास में योगदान कर सकते हैं I ग्रामीण परिवेश के साथ-साथ शहरों में भी भारतीय पारम्परिक विरासत को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय भाषाओं से सुसज्जित कहानियाँ, कवितायेँ, नाटक, लघुकथाओं की रचना कर सामग्री तैयार करने की जरुरत हैI नई राष्ट्रीय शिक्षा निति के तहत 5+3+3+4 शिक्षा व्यवस्था के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण कर छात्रों को उचित शिक्षा मुहैया कराना है I

क्षेत्रीय भाषा शिक्षण का महत्व

- **शिक्षक-छात्र संबध में सुधार** – मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक अपने छात्रों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं I चूँकि वे अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और छात्रों की जरुरतों और आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं, इससे सीखने का माहौल अधिक साकारात्मक होता है, जो छात्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है I हमने देखा कि आधारभूत शिक्षा में प्रौधोगिकी को स्थानीयकरण के साथ सम्मिश्रित करने से शिक्षण अधिक संवादात्मक और आकर्षक बन सकता है, जिससे विद्यार्थी विषयों और सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्री को पर्याप्त रूप से समझ सकते हैं I
- **शैक्षिक सफलता** – जब बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा में सीखतें हैं तो वे विषय को आसानी से समझ जाते हैं I दूसरी ओर, अन्य भाषा में पढाया जाता है तो बच्चों को विषय और विदेशी भाषा दोनों से जूझना पड़ता है I क्षेत्रीय भाषा से विषय की बेहतर समझ होने के कारण, बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, बेशक, एक बार जब बच्चे की मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में नींव रखी जाती है तो बच्चा जल्दी ही अन्य अतिरिक्त भाषाओँ को सीखने की दिशा में आगे बढ़ सकता है I

- **संस्कृति का संरक्षण**- मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को जीवित रखने से एक पूरी संस्कृति भी जीवित रहती है I भाषा के आभाव में, न केवल भाषा विलुप्त होने का खतरा है, बल्कि सांस्कृतिक प्रथाएं भी ख़त्म हो जाएँगी, जिससे सांस्कृतिक विविधता कम हो जाएगी I इसके अतिरिक्त, कवियों, लेखकों, और इसी तरह के लोगों के लिए रचनात्मक प्रेरणा के स्त्रोत भी गौण हो जायेंगे I प्रत्येक भाषा में साहित्य का एक भंडार होता है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति का परिणाम होता है I मातृभाषा को संरक्षित करने का मतलब साहित्य के भंडार को संरक्षित करना और रचनात्मक अभिव्यक्ति को और बढ़ावा देना भी है I
- **सम्मान की भावना** – मातृभाषा गर्व की अनुभूति कराता है जिसके द्वारा हम एक समृद्ध विरासत को जीवित रखने में कामयाब होते हैंI यह सांस्कृतिक विरासत अपने पूर्वजों की याद दिलाती है I जिससे उनके अंशों को हम बचा पाते हैं एवं उन्हें सम्मान दे पाते हैं I
- **बेहतर संज्ञानात्मक विकास** – यूनेस्को के शोध से पता चलता है कि विश्व की 40 प्रतिशत जनसँख्या को उस भाषा में औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं मिलती जिससे वे परिचित हैं I इस कारण उनका वास्तविक संज्ञानात्मक विकास उतनी तीव्र गति से नहीं हो पता है I जो छात्र अपनी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में सीखते हैं, वे अवधारनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं I शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देकर, बच्चे अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित कर सकते हैं जिससे बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त होंगे I
- **हाशिये पर पड़े समुदायों का सशक्तिकरण** – भारत भौगोलिक विविधताओं के साथ-ही-साथ आर्थिक और मानसिक विविधताओं से युक्त राज्यों का एक संघ हैI आज भी बहुत से समूह विकास की पूर्णता से वंचित हैं, ये वंचित समूह अक्सर अपनी क्षेत्रीय भाषाएँ बोलते हैं I स्कूलों में इन भाषाओँ को पढानें से उनमें ज्यादा समझ विकसित होती हैं, उन्हें ज्यादा ताकत मिलती है एवं अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए एकरूपता मिलती है I इससे एक ज्यादा समावेशी समाज का निर्माण हो सकता है I

शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ –

मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देनें से कई फायदे हैं लेकिन इससे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे - सभी भाषाओँ की अपनी कोई लिपि विकसित नहीं है, बोलियाँ खरपतवार कि तरह प्रभावित करती है, भाषाओँ का मानकीकरण नहीं हो पाया है, व्याकरण विकसित नहीं है I इनके अलावे कुछ और चुनौतियों को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं I

- **योग्य शिक्षकों कि कमी** – शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय भाषाओँ में कुशल योग्य शिक्षकों की कमी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ प्रतिस्थापित शिक्षक स्थानीय भाषा से परिचित नहीं हो सकते हैं I ऐसे चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और अन्य हितधारकों को इस ओर ठोस प्रयास करने की आवश्यकता हैI स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति अति आवश्यक हो जाएगी जो उपयुक्त भाषा के बोल चाल में पारंगत हो I
- **मानकीकृत पाठ्यक्रम का आभाव** -शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा के उपयोग के लिए एक और चुनौती यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं में मानकीकृत पाठ्यक्रम का आभाव यह सुनिश्चित करना कठिन बना देता है कि छात्रों को शिक्षा की सामान गुणवत्ता प्राप्त हो रही है या नहीं, चाहे वह जिस भी भाषा में सीख रहें हैं I इस चुनौती का समाधान करने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम के विकास की आवश्यकता होगी जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकेगा I
- **बदलाव का विरोध** – समाज में कई तरह के विचारधारा के लोग निवास करते हैं, उनलोगों में इस धारणा के कारण विरोध हो सकता है कि आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए अंग्रेजी सीखना आवश्यक है I इन चुनौती का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय भाषओं में सीखने के लाभों के बारे में जनता को जागरूक करना होगा I सफलता का अर्थ केवल यह नहीं कि अधिक सैलरी प्राप्त हो, सफलता का मतलब यह है कि मानवता की भावना बनी रहे, नैतिकता संरक्षित रहे, विश्व बंधुत्व की भावना की निरंतरता रहे I

निष्कर्ष –

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके I वास्तव में, हम जो कर सकतें हैं, वह है बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी क्षमता को उजागर करना I विभिन्न शोधों के अध्ययन से यह पता चला है कि अपनी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में सीखना बेहतर संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि में मददगार होता है I इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी कि भूमिका कम होनी चाहिए I आखिरकार, हमें भी वैश्विक जगत से सम्बन्ध रखना है, विकास में उनसे कन्धे से कन्धा मिलाना है, सार्वभौमिक भाषा का ज्ञान हमें विश्व नागरिक बनने और दुनिया के विकास में भाग लेने में सक्षम बनाता है I आज की वैश्विकृत दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और संचार के लिए अंग्रेजी आवश्यक हैI साथ ही साथ अन्य भाषा का ज्ञान करके विश्वपटल में

अपने आपको स्थापित करना है I यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद पर ध्यान केंद्रित करती है I इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान एवं उपयोग करने की बात कही गई है ताकि समग्र शिक्षा प्रणाली में समावेशिता सुनिश्चित किया जा सके I यह विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने और यह सुनिश्चित करने में एक लम्बा रास्ता तय कर सकता है कि शिक्षा कुछ चुनिन्दा लोगों का विशेषाधिकार न बनी रहे I

सन्दर्भ सूची –

1. **उपाध्याय डॉ. अंशुल** (2023), इन्टरनेट ब्लॉग, क्षेत्रीय विकास में स्थानीय भाषाओँ की उपयोगिता.
2. **सोविनियर** (नवम्बर- 2023)- नेशनल सेमीनार, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सुकरीगढ़ा रामगढ़.
3. **वेलडे हंस वनडे, क्रिचर रूठ & बायट जोहा** (2022), लैंग्वेज प्लानिंग, वॉल्यूम- 24, इशू-01,पेज 89-101.
4. **आलिमि फतई ओएकोला** (2020), इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल ऑफ़ प्राइमरी एजुकेशन वॉल्यूम-09, इशू-02.
5. **मिश्रा दिलीप कुमार & मिश्रा सचिन** (2020), भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास, ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड.
6. **पोखरिवाल डॉ.** (2019), शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओँ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम मानव संसाधन विकास मंत्री/प्रेस, सुचना ब्यूरो दिल्ली.
7. **मिश्रा डॉ. आनंद मूर्ति** (2018), डोकुमेंटरी छतीसगढ इन्टरनेट लेख, स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ़ टीचिंग इन लोकल डायलेक्ट.
8. **साहिन इदरीस** (2018), एकेडमिक जर्नल एजुकेशनल रिसर्च एंड रिव्यू, वॉल्यूम-13,(9).
9. **कुमार डॉ. विनोद** (2017), हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओँ का पारस्परिक संबन्ध श्रीकृष्ण साहित्य सदन दिल्ली.
10. **डाबी प्रिया** (2015), द ब्रिज: जर्नल ऑफ़ एजुकेशन रिसर्च इन्फोर्मेड प्रैक्टिस, वॉल्यूम-02, इशू-03.
11. **अनुपम** (अप्रैल 2013), इन्टरनेट ब्लॉग, भारत में क्षेत्रीय भाषाओँ का महत्त्व.